

न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 43/बी-121/2015-16

: आदेश ::

(आज दिनांक 23/04/2016 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार तहसील अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 12.10.2015 को घटनास्थल ग्राम अजन्दा तहसील अलीराजपुर में सड़क दुर्घटना (मोटर साईकल एवं जीप से) होने पर मगन पिता रेमला जाति भीलाला निवासी अजन्दा तहसील अलीराजपुर की घायल होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 7500/- (सात हजार पाँच सौ रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

तहसीलदार अलीराजपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के अभिमत से सहमत होकर थाना रिपोर्ट एवं एमएलसी के आधार पर घायल मगन पिता रेमला निवासी अजन्दा तहसील अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 7500/- (सात हजार पाँच सौ रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या 02-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

s/d -
(शेखर वर्मा)
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

पृ0क/ 310/रीडर/2016

अलीराजपुर दिनांक.....23/4/2016

प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर । (बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न)
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।
- 5 सहायक जनसंपर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 6 तहसीलदार तहसील अलीराजपुर।
- 7 संबंधित मगन पिता रेमला निवासी अजन्दा तहसील अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

N-ic